मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-11/2017/नियम/चार | भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के शासकीय सेवकों को मत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान तथा पेंशन धन से प्रत्याहरण का लाभ ।

—••—

मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (पूर्व नाम नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना) लागू की गई है ।

2/ राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को, योजनान्तर्गत उनके खाते में जमा राशि में से सेवाकाल में प्रत्याहरण की तथा म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियमों के अन्तर्गत शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति/सेवाकाल में मृत्यु होने पर, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान के समान वर्तमान में पात्रता नहीं है।

3/ अतः राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया गया है कि :-

(अ) राज्य शासन के अधीन सिविल सेवा व सिविल पदों पर दिनांक 1-1-2005 को या उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की पात्रता होगी ।

(ब) राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता विशेष परिस्थितियों में संचित पेंशन धन राशि से भारत के राजपत्र में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 के अनुसार आहरण कर सकेंगे ।

(स) अभिदाता के सेवानिवृत्ति के 3 माह पूर्व योजना में अंशदान का कटौत्रा बंद किया जाएगा ।

4/ उपर्युक्त (ब) एवं (स) के संबंध में प्रक्रिया संबंधी निर्देश पृथक से प्रसारित किए जाएंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

16/1/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग